18 56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 397—दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 26—12—2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नजूल गोरखपुर—2, जबलपुर म0प्र0 के प्रकरण कमांक 17/अ—12/2012—13.

....

सूरजसिंह लोधी (ठाकुर) आत्मज
श्री छिदामीलाल लोधी (ठाकुर)
निवासी ग्राम ललपुर(ग्वारीघाट) तहसील व
जिला जबलपुर

........आवेदक

विरूद्ध

1—अतुलचन्द्र कपूर आत्मज स्व.डॉ.ज्ञानचंद कपूर,

2—अमरीश कपूर आत्मज अतुलचन्द्र कपूर
दोनों निवासी म.नं.251 आदर्श नगर नर्मदा रोड,
जिला जबलपुर

.... अनावेदकगण

....

श्री एस0पी0तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/4/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय तहसील नजूल जबलपुर म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—12—2013 से परिवेदित होकर म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 जिसे संक्षेप में आगे केवल "संहिता" कहा जावेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने जबलपुर के मौजा ललपुर नं.बं.641 प.ह.नं.8 खसरा नम्बर 120/2 रकबा 0.405 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 176/3 रकबा 0.809 हेक्टर भूमि का सीमांकन कराने चालान खसरा एवं नक्शा की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया है । जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर दिनांक 26–12–2013 उक्त खसरे पर अनावेदक के हक में सीमांकन आदेश जारी किया । तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26–12–2013 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि आवेदक मौजा ललपुर नं.बं.641, प.ह.नं. 45 तहसील जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 120 रकबा 1.072 हेक्टयर एवं खसरा नम्बर 176 रकबा 2.294 हेक्टेयर भूमि का मालिक काबिज भूमि स्वामी था । आवेदक द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 3–4–1999 के माध्यम से अनावेदकगणों के उक्त खसरा नम्बरों में से 1.20 हेक्टर भूमि का विक्रय किया गया । तर्क में यह भी बताया कि अनावेदकगणों द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर बैनामा में दर्शित चौहद्दी से भिन्न गलत ढ़ंग से नक्शा में बटांक निर्मित कराये जाकर सीमांकन हेतु तहसीलदार नजूल गोरखपुर–2 जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 25–4–13 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को सीमांकन हेतु दिनांक 30–4–2013 को आदेशित किया गया और जल्दबाजी में सीमांकन सम्पादित करा लिया । आवेदक की आपत्ति का निराकरण किये बगैर तथा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–12–13 को पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट तथा फील्ड बुक का अनुमोदन नियम विरूद्ध किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–13 अपास्त किया जाकर सभी पड़ोसी कृषकों को सूचना देकर

उनकी उपस्थिति में निष्पक्ष रूप से पुनः सीमांकन किये जाने का आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया कि यही कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिवत् होने से स्थिर रखा जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेखों का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया । प्रकरण में आवेदक की इस आपत्ति की अभिलेख से पुष्टि होती है कि सीमांकन से पूर्व आवेदकों तथा अन्य पड़ौसी कृषकों को विधिवत् सूचना नहीं दी गई, न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया । अतः सीमांकन की कार्यवाही दूषित पाये जाने से निरस्त की जाती है । तहसीलदार को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सभी संबंधितों को विधिवत् सूचना देकर तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर देकर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर